भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1715
जिसका उत्तर मंगलवार, 02 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान

1715. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014 से राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) के अंतर्गत कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस मिशन को आरंभ करने के बाद तैयार पर्यावरण-अनुकूल और सम्मिश्रित वाहनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या बढ़ते प्रदूषण के आलोक में उक्त योजना के अंतर्गत सरकार का विचार उन शहरों पर विशेष ध्यान देने का है जहाँ प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है; और

(घ) ऊर्जा आवश्यकताओं के संदर्भ में देश को इससे किस प्रकार लाभ होगा?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अरविंद गणपत सावंत)

(क): नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020 देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं उनके विनिर्माण के लिए विजन तथा रोडमैप उपलब्ध कराने वाला एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज है। इस योजना को राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा में वृद्धि करने, किफायती एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन उपलब्ध कराने तथा वैश्विक विनिर्माण नेतृत्व प्राप्त करने के लिए भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

एनईएमएमपी 2020 के भाग के रूप में, सरकार ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और वाहन संबंधी उत्सर्जनों के मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से 02 वर्षों की अवधि के लिए मार्च, 2015 में फेम इंडिया योजना के चरण-I को अनुमोदित किया। इस योजना को समय-समय पर बढ़ाया गया है और अंतिम बढ़ोतरी दिनांक 31 मार्च, 2019 तक थी।

इस चरण में, सभी वाहन सेगमेंटों अर्थात् दुपहिया, तिपहिया ऑटो, यात्री चौपहिया वाहनों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों तथा बसों पर प्रोत्साहन देकर मांग प्रोत्साहनों के माध्यम से बाजार सृजन का लक्ष्य था।

इसके व्यापक अंगीकरण के लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड (एक्सईवी) के खरीददारों को अपफ्रंट कम खरीद मूल्य के रूप में मांग प्रोत्साहन उपलब्ध था। इसके अलावा, प्रायोगिक परियोजनाओं, अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी विकास और सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना घटकों के तहत योजना के विभिन्न फोकस क्षेत्रों के तहत अनुदान देने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एवं स्वीकृति समिति (पीआईएससी) द्वारा विशिष्ट परियोजनाएं मंजूर की गईं।

फेम इंडिया योजना के चरण-I के दौरान प्राप्त अनुभव और परिणाम के आधार पर और उद्योग एवं उद्योग संघों सहित सभी स्टेकहोल्डरों से परामर्श करने के बाद, भारी उद्योग विभाग ने फेम इंडिया योजना के चरण- II को मंत्रिमंडल के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया और तद्नुसार दिनांक 08 मार्च, 2019 को इसे अधिसूचित किया जो ₹10,000 करोड़ की कुल बजटीय सहायता के साथ दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से आरंभ होकर तीन वर्षों की अवधि के लिए है। यह चरण मुख्यतः सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण की सहायता करने पर केन्द्रित होगा, और सब्सिडी के माध्यम से 7000 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों की सहायता करने का लक्ष्य है। तथापि, एक व्यापक सेगमेंट के रूप में योजना के तहत निजी स्वामित्व वाले पंजीकृत दुपहियों को भी शामिल किया जाएगा।

फेम इंडिया योजना के चरण-II के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए एक प्रचालनात्मक लागत मॉडल पर विभिन्न शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के इच्छुक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विभागों, राज्य/नगर परिवहन उपक्रम, नगर-निगमों और इसी प्रकार के अन्य सार्वजनिक उद्यमियों से प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए दिनांक 04 जून, 2019 को एक रुचि की अभिव्यक्ति जारी की गई है।

(ख): चूंकि ऑटोमोबाइल एक उदारीकृत क्षेत्र है और इस क्षेत्र में स्वतः पद्धति के द्वारा 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है, भारी उद्योग विभाग ईवी सहित वाहनों के विनिर्माण से संबंधित आँकड़े रखने के लिए अधिदेशित नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को योजना के आरंभ से फेम इंडिया योजना के तहत ₹343 करोड़ (लगभग) के प्रोत्साहन के माध्यम से लगभग 2.75 लाख एक्सईवी वाहनों की सहायता की। योजना के तहत 465 बसों की भी सहायता की गई है।

(ग): दिनांक 04 जून, 2019 को भारी उद्योग विभाग द्वारा जारी रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से ई-बसों की तैनाती के लिए मांग प्रोत्साहन के निधियन हेतु शहरों के चयन के लिए पार्टिकुलेट मैटर (प्रदूषण स्तर) का औसत स्तर अर्हता पैरामीटरों में से एक है।

(घ): योजना के तहत एक्सईवी की खरीद के लिए दी गई सहायता के माध्यम से अब तक लगभग 48 मिलियन लीटर ईंधन की बचत की गई है।

******